न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 11/2006

अपीलान्ट

गेना पुत्र लालाजी मेघवाल
निवासी पहाडपुरा तहसील सांचोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 नानजी पुत्र रामसी मेघवाल निवासी पहाडपुरा तहसील सांचोर
2 मु. गोमा पुत्र लाल के का0मु0
2.1 हरीया पुत्र गोमा नाबालिग कुदरती वली माता रेशमा
2.2 रेशमा बेवा गोमा
2.3 नेनू पुत्री गोमा
2.4 जमना पुत्री गोमा
2.5 मेती पुत्री गोमा जरिये कुदरती वलीया रेशमा बेवा गोमा जी मेघवाल निवासी पहाडपुरा तहसील सांचोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 2 सी0पी0सी0

उपस्थित :–
श्री बसन्त कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री त्रिलोकचन्द मेहता, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: आदेश :–

दिनांकः– 9/3/2018

प्रार्थी रूगनाथ पुत्र गेनाजी जाति मेघवाल ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट गेना के विधिक वारिशान को बतौर पक्षकार रेकर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की प्रति वकील रेस्पोडेन्ट्स को दिलाई गई एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प जालोर

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट/प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की मृत्यु दिनांक 13.08.2010 को हो चुकी है। अपीलाण्ट के वारिशान द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर यह जानकारी हुई है। इस पर सन्दर्भित कानून के तहत यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपीलाण्ट के का0मु0 को कानून की जानकारी नहीं होने के कारण अपीलाण्ट की मृत्यु की सूचना अधिवक्ता को प्रदान नहीं की जा सकी, जिसके कारण हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई, जिसका सद्भाविक कारण पत्रावली पर उपलब्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी0एन0जे0 (राज.) 2009 (2) पेज 623 में भी इसी प्रकार का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जावे एवं अपीलाण्ट के का0मु0 को बतौर पक्षकार अपीलाण्ट संयोजित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के का0मु0 द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह विधिवत पोषणीय नहीं है, क्योंकि अपीलाण्ट के का0मु0 को पक्षकार संयोजित करने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 नियम 3 में प्रावधान दर्शित है, जबकि यह प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 2 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत किया गया है, इस कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अपीलाण्ट की मृत्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 5 वर्ष पूर्व हो चुकी थी तथा अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने की जानकारी उनके का0मु0 को नहीं हो, यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। आदेश 22 नियम 9 सी0पी0सी0 के तहत पक्षकार की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर का0मु0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में 5 वर्ष के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा इस अवधि को कण्डोन करने के जो कारण दर्शाये गये है, वे ठोस नही होने के कारण अपीलाण्ट के का0मु0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है। इस स्थिति में अपील भी एबेट होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट के का0मु0 की ओर से जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें स्वयं प्रार्थी रूगनाथ पुत्र गेना जी द्वारा अपने पिता गेना जी, जो प्रकरण में अपीलाण्ट है, की मृत्यु दिनांक 13.08.2010 को होना जाहिर किया तथा इस अपील की जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को सद्भाविक बताते हुए कण्डोन कराते हुए अपीलाण्ट के का0मु0 को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया। इस सम्बन्ध में सन्दर्भ कानून सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 22 का अवलोकन किया गया। आदेश 22 में पक्षकारों की मृत्यु, उनका विवाह और दिवाला के सम्बन्ध में प्रक्रिया विहित है। आदेश 22 नियम 2 के तहत जो प्रक्रिया विहित है, वह उस दशा में क्रियाशील होती है, जहां कई वादीयों या प्रतिवादीयों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है। हस्तगत प्रकरण में जो अपील प्रस्तुत की गई है, वह एकमात्र वादी/अपीलाण्ट गेना द्वारा की गई है। इस कारण आदेश 22 नियम 2 की प्रक्रिया हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होती है। हस्तगत प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प जालोर

पर आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू होते है, जिसके अनुसार कई वादियों में से एक या एकमात्र वादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया विहित है। आदेश 22 नियम 3 (1) के तहत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा, वह उप नियम (2) के तहत परिसीमित समय के भीतर किया जाना आज्ञापक है। इस हेतु परिसीमित समय की संगणना परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसूची के द्वितीय खण्ड के भाग 1 बिन्दु संख्या 120 में यह स्पष्ट किया गया है कि "किसी मृत वादी या अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन पक्षकार बनवाने के लिये विहित परिसीमा काल नब्बे दिवस प्रावधित किया है, जो यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से संगणित हो।" हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट की मृत्यु के 5 वर्ष के पश्चात हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह भी सक्षम नियमों में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश 22 नियम 3 के तहत Considar भी किया जावे, तो परिसीमा के तहत यह बाधित पाया जाता है। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में डी0एन0जे0 (राज.) 2009 (2) पेज 623 में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अपीलाण्ट के का0मु0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में समय पर कदम न लेने के लिये विस्तार से एवं विनिर्दिष्ट रूप से किसी प्रकार के कारणों की व्याख्या नहीं की। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0सी0आर0 2010 (8) पेज 597 बलवन्तसिंह (मृत) बनाम जगदीशसिंह वगैरा में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Code of Civil Procedure, 1908 – Order 22, rules 3 and 9; s. 151 read with s.5 of Limitation Act, 1963 – Death of appellant during pendency of appeal before Supreme Court– Application filed after long delay of 778 days for bringing the legal representatives of deceased appellant on record accompanied by application for condonation of delay – Held: Such applications cannot be allowed as a matter of right and even in a routine manner – They should be rejected unless sufficient cause is shown for condonation of delay – On facts, except for a vague averment that he legal representatives were not aware of the pendency of the appeal, no other justifiable reason was stated by the applicants – The applications also did not contain correct and true facts, thus, want of bona fides is imputable to the applicants – No reason nor sufficient cause was shown as to why immediate steps were not taken by the applicants, even after they admittedly came to know of the pendency of the appeal – The conduct of the applicants was abnormal – They acted irresponsibly and even with negligence, and miserably failed in showing any 'sufficient cause' for condonation of the long delay of 778 days – Applications accordingly dismissed – Resultantly, the appeal, having already abated, also dismissed" उक्त सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतःचस्पा होता है। हस्तगत प्रकरण में भी अपीलाण्ट के का0मु0 द्वारा न तो निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही देरी से प्रस्तुत करने का कोई सद्भावित कारण जाहिर किया। इन समस्त तथ्यों से वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 2 सी0पी0सी0 का अवधि बाधित पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प जालोर

परिणाम स्वरूप वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत सारहीन होने से खारिज किया जाता है। जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट के का0मु0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 2 सी0पी0सी0 के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं अपीलाण्ट की अपील Abate होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर